न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)

अनवान

श्रीमती सुनीता मीणा, 39, शिव मन्दिर के पास, केशरपुरा, पंचायत टीकड़, तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाडा

बनाम

लोक सूचना अधिकारी **एवं उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा**

प्रकरण संख्या :– **22/2025**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08–04–2025	**–: निर्णय :–** 1. पत्रावली आज पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। 2. अपीलार्थी ने अपने ऑनलाईन प्रथम अपील आवेदन संख्या 249229870161022 दिनांकित 08**–03–2025** में वर्णितानुसार उनकी ओर से दिनांक 04–02–2025 को प्रस्तुत आवेदन में वर्णित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं **उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर** रेस्पोडेंट के द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील 08–03–2025 को प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। 3. लोक सूचना अधिकारी एवं **उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर** से टिप्पणी चाहे जाने पर उन्होंने जरिये पत्रांक 435 दिनांक 01–04–2025 से अवगत कराया कि अपीलार्थी को अपेक्षीत सूचनायें उपलब्ध कराई जा चुकी है। जिसकी एक अतिरिक्त प्रति अपनी जवाब टिप्पणी के साथ भी पेश की गई। उक्त टिप्पणी पत्र की प्रतिलिपि उक्त अपील पत्रावली के अभिलेख पर मौजूद है। अपीलार्थी वक्त सूनवाई अनुपस्थित रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह अवधारित माना जाता है कि प्रार्थी अपीलार्थी को, प्रत्यर्थी द्वारा उसे प्रदत्त सूचना से संतुष्ट है। अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर उक्त निर्णय की प्रतिलिपि ऑनलाईन आरटीआई पोर्टल पर अपलोड की जावें। पत्रावली नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 08–04–2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (जसमीत सिंह संधू) प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा (राज.)	